मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-21.10.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **नगर विकास एवं आवास विभाग** में अवमाननावाद के 270 (दो सो सत्तर) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 859 (आठ सौ उन्सठ) मामले लम्बित हैं। अवमाननावाद में Proforma Party होने की स्थिति में भी माननीय उच्च न्यायालय में Showcause दाखिल करें एवं इस आशय की सूचना दी जाय कि इस मामले में विभाग का कोई Role (भूमिका) नहीं है। सी0डब्लू0जे0सी0 के सभी मामले में 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में इसकी सूचना से अवगत कराने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

3. **कला संस्कृति एवं युवा विभाग** - मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा मामले की समीक्षा कर लम्बित मामले में विधि सम्मत कारवाई कर अगली बैठक में इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

4. **भवन निर्माण विभाग** में अवमाननावाद के 14 (चौदह) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 60 (साठ) मामले लम्बित है। वर्ष 2012 के लम्बित अवमाननावाद के 10 (दस) मामले में Showcause एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 60 मामले में चार सप्ताह के अन्दर Counter Affidavit दाखिल करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।

5. **खान एवं भूतत्व विभाग** में अवामननावाद के 4 (चार) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 94 (चौरानवे) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के सभी मामलों का समीक्षा कर पुराने लम्बित मामलों में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करने एवं मामलों में S.O.F. लम्बित रखने वाले पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर शीघ्र कारवाई करने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के सभी मामलों की संचिकाओं को मुख्य सचिव के समक्ष उपस्थित करने का निदेश दिया गया।

6. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग** में अवमाननावाद के 19 (उन्नीस) मामले लम्बित हैं। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया है कि जिन मामलों में Showcause दायर नहीं किया गया है उनकी समीक्षा कर लम्बित मामलों में Showcause शीघ्र दायर करें तथा इसकी जानकारी अगली बैठक में दी जाय।

7. **मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग** में अवमाननावाद का 1 (एक) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 3 (तीन) मामला लम्बित है। अवमाननावाद के मामले में जिला पदाधिकारी, पटना से सम्पर्क स्थापित करने एवं संबंधित अधिवक्ता को ससमय तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने तथा

सी0डब्लू0जे0सी0 में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

8. **विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग** में अवमाननावाद के 4 (चार) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 11 (ग्यारह) मामले लम्बित है। अवमाननावाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के पूराने मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

9. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगले बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/1287 जे0 पटना, दिनांक- 7.11.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/7987 जे0   पटना, दिनांक-7.11.13

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।